रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226822
CG-DL-E-03052021-226822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/वैशाख 13, 1943
No. 248] NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/VAISAKHA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 314(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2क के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में नियम 11पग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"**11गघ. महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए अवसीमा. —** (1) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2क के खंड (क) के प्रयोजन के लिए किसी अनिवासी द्वारा भारत में किसी व्यक्ति के साथ किन्हीं माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में किए जा रहे संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों की कुल रकम जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दाता या स्वास्थ्य के डाउनलोड के उपबंध सम्मिलित हैं, दो करोड़ रुपए होगी;

(2) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2क के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए उपयोगकर्ताओं की संख्या जिनके साथ क्रमबद्ध और सतत कारबार कार्यकलापों की याचना की जा रही है या जो अनन्योक्रिया में लगे हुए हैं तीन लाख होगी।"।

[अधिसूचना सं. 41/2021/ फा. सं. 370142/11/2018-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2021

INCOME-TAX

G. S. R. 314(E).— In exercise of the powers conferred by the clause (a) and clause (b) of *Explanation 2A* to sub-section (1) of section 9 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 11UC, the following rule shall be inserted, namely:-

"11UD. **Thresholds for the purposes of significant economic presence. —** (1) For the purposes of clause (a) of *Explanation 2A* to clause (i) of sub-section (1) of section 9, the amount of aggregate of payments arising from transaction or transactions in respect of any goods, services or property carried out by a non-resident with any person in India, including provision of download of data or software in India during the previous year, shall be two crore rupees;

(2) For the purposes of clause (b) of *Explanation 2A* to clause (i) of sub-section (1) of section 9, the number of users with whom systematic and continuous business activities are solicited or who are engaged in interaction shall be three lakhs. ".

[Notification No. 41 /2021/ F. No. 370142/11/2018-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 301(E), dated 30th April,2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date:2021.05.03 18:17:23 +05'30'